::आदेश::

कोरोनावायरस (COVID-19) के संक्रमण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 217/UKMFWS/PS-MDNNM/2019-20 दिनांक 22.03.2020 के क्रम में पारित इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22.03.20 व आदेश संख्याः 2110/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 23.03.2020, आदेश संख्या 2117/सीपीओ–डीएम– 2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा आदेश संख्या 2121/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 25.03.2020 में निम्नलिखित शर्ते शामिल करते हुए दिनांक 27.03.2020 के लिए निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते है कि:–

1– दिनांक 27.03.2020 को आवश्यक सेवाओ से सम्बन्धित सभी दुकाने प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेगी। जबकि फल, सब्जी व दूध की दुकाने दिनभर खुली रहेगी।

2– दिनांक 27.03.2020 को सभी चार–पहिया वाहनो का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाओ से जुड़े शासकीय तथा वास्तविक रूप से बीमार व्यक्तियो को लाने व ले जाने वाले वाहनो को छूट रहेगी।

3– दिनांक 27.03.2020 को आढ़त बाजार केवल खुदरा व्यापारियो को सामग्री विक्रय करने हेतु अपरान्ह 02 बजे से 04 बजे तक ही खुली रहेगी। किन्तु ऐसे थोक व्यापारियो से केवल खुदरा व्यापारी ही सामान ले सकेगे, जो पुलिस द्वारा निर्गत किये गये पास पर ही आवागमन कर सकेगे। इस दौरान आम जनमानस इस खरीदारी से प्रतिबन्धित रहेगा।

4– दिनांक 27.03.2020 को निरंजनपुर स्थित सब्जी मण्डी से खुदरा व्यापारी एवं छोटी सब्जी मण्डिया ही सब्जी खरीद सकेगी। आम नागरिको को सब्जी की आपूर्ति मोबाइल ठेले व वैन के माध्यम से पुलिस व्यवस्था के अनुसार सुनिश्चित करायी जायेगी।

5– दो–पहिया वाहन की अनुमति 01 व्यक्ति के सवार होने पर अपरान्ह 01 बजे तक अनुमन्य होगी।

6– खाद्य पदार्थो के पैकेजिंग से सम्बन्धित दुकाने भी आवश्यक सेवाओ में सम्मिलित रहेगी, जो प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक खुली रहेगी।

7– बैंक प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक आम जनता के लिए तथा पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक श्रम विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यो का संचालन हेतु खुला रहेगा। ऐसे बैंक कार्मिक को अपरान्ह 01:30 बजे वापस घर जाने की अनुमति होगी।

अतः पूर्व आदेश संख्याः क्रमशः 2106/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 22,मार्च,2020 तथा आदेश संख्याः 2110/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 23,मार्च,2020 आदेश संख्या 2117/सीपीओ–डीएम– 2020 दिनांक 24 मार्च, 2020 तथा आदेश संख्या 2121/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक 25.03.2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या :2125/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक :26, मार्च, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही व अनुपालनार्थ प्रेषित।

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव महोदय–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3– सचिव महोदय, मा0 श्रीराज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त महोदय, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून।
7– अपर जिलाधिकारी (वि0/राज0)/प्रशासन, देहरादून।
8– सिटी मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद–देहरादून।
9– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून।
10–जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून।
11–सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देहरादून/ऋषिकेश/विकासनगर।
12–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with CamScanner